


~~Section~~

§ 2-24 बकील जर्पी अनुपस्थित । प्राप्ति स्वम  
अनुपस्थित । चूंकि गर्भना-पत्र से  
संबंधित मूल वाद का निर-कारण  
किया जा चुका है । इसलिए गर्भना-  
-पत्र 212/RTA स्वतः ही भंगविशेष  
हो जाता है । इसलिए पत्रावली को  
वर्तमान स्तर पर अडम देखी/अडम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व  
तारीख

हाजरी में स्थापित किया जा रहा है।  
पश्चिमी नम्बर से कम की जाकर  
बाद तकमील मूल वाड के सुलजेन  
है।

  
(स्वाती गुप्ता)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन महायक कलेक्टर  
दिल्ली